डीजी परिपत्र संख्या 29/2023

विजय कुमार



पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश

पुलिस मुख्यालय, लखनऊ दिनांक : लखनऊः अगस्त 🎉 ,2023

प्रिय महोदय/महोदया,

अपराधों की प्रभावी रोकथाम करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में एक अति महत्वपूर्ण कार्य है। सुदृढ़ पुलिसिंग के द्वारा प्रदेश में आम नागरिकों के मध्य सुरक्षा का माहौल स्थापित किया जाना है। इसके लिये आवश्यक है कि रात्रि गश्त अधिक से अधिक तथा प्रभावी रूप से की जाये, जिससे जन सामान्य में अपनी सुरक्षा के प्रति विश्वास की भावना बलवती हो सके।

प्रायः रात्रि के समय आपराधिक तत्वों की सिक्कियता बढ़ जाती है और हत्या, लूट, डकेती, चोरी तथा महिलाओं के साथ अपराध आदि की घटनाएं घटित होती है, जिनका आम जनमानस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने व रोकथाम हेतु रात्रि में पुलिस सिक्कियता बढ़ा कर प्रभावी कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

इस प्रकार की घटनाओं की रोकथाम हेतु गश्त प्रणाली/पिकेट/वाहन पेट्रोलिंग आदि को और अधिक सुदृढ़ किये जाने हेतु दिशा-निर्देश निम्नवत् है:-

- प्रदेश के समस्त जनपद/किमश्नरेट में घटित घटनाओं का मुख्यालय स्तर पर विश्लेषण करने पर पाया गया कि हिन्दू पंचाग के अंधेरे पक्ष (कृष्ण पक्ष) की अमावस्या तिथि के एक सप्ताह पूर्व एवं एक सप्ताह पश्चात रात्रि के समय अधिक घटनाएं घटित होती है। विरष्ठ पुलिस अधिकारियों के स्तर पर यह विश्लेषण प्रत्येक माह किया जाये।
- हिन्दू पंचाग के अनुसार प्रत्येक माह में अंधेरे पक्ष (कृष्ण पक्ष) की अमावस्या की तिथि को चिन्हित किया जाए। (उदाहरण स्वरूप माह अगस्त में 16 तारीख, माह सितम्बर में 14 तारीख एवं माह अक्टूबर में 14 तारीख को अमावस्या तिथि है।) सुलभ सन्दर्भ हेतु हिन्दू पंचाग की प्रति संलग्न है।
- अमावस्या की तिथि से एक सप्ताह पूर्व एवं एक सप्ताह पश्चात् रात्रि में वर्णित अपराध शीर्षकों में घटित घटनाओं का CCTNS एवं डायल-112 से घटना के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं का मिलान/क्राइम मैपिंग करा लिया जाए तथा क्राइम मैपिंग के अनुसार विषठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/पुलिस आयुक्त द्वारा अपने-अपने जनपद/किमश्नरेट में हॉट स्पॉट चिन्हित कर कार्ययोजना तैयार की जाये।
- इसी प्रकार प्रदेश के समस्त थानों में थाना प्रभारी द्वारा अपने-अपने थानाक्षेत्रों में काइम मैपिंग के अनुसार थाना स्तर पर हॉट स्पॉट चिन्हित कर कार्ययोजना तैयार की जाये।

- जनपद/किमश्नरेट में घटित घटनाओं का क्राइम मैपिंग के अनुसार क्षेत्र व समय चिन्हित करने की प्रिक्रिया हेतु अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उ०प्र० द्वारा एस०ओ०पी० तैयार कर समस्त जनपद/किमश्नरेट को उपलब्ध करायी जायेगी तथा सम्बन्धित किमयों को प्रशिक्षण दिये जाने हेतु कार्यवाही भी करायी जाएगी।
- जनपद/किमश्नरेट में चिन्हित किये गये हॉट-स्पाट क्षेत्रों में प्रत्येक माह की अमावस्या तिथि के एक सप्ताह पूर्व एवं एक सप्ताह पश्चात रात्रि में इस अविध में प्रभावी गश्त/पिकेट/वाहन पेट्रोलिंग आदि को और अधिक सुदृढ़ करते हुए पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मी लगाये जाए।
- संवेदनशील राजमार्गो पर रात्रि गश्त हेतु पर्याप्त संख्या में पेट्रोलिंग वाहन लगाये जाए।
- संवेदनशील स्थानों को जोन/क्लस्टर में बांट कर उन क्षेत्रों में पर्याप्त पुलिस वल लगाकर गश्त करायी जाय।
- रात्रि गश्त/पिकेट/वाहन पेट्रोलिंग हेतु लगाये गये गश्त कर्मियों को प्रतिदिन नियमित रूप से थाना प्रभारी/रात्रि अधिकारी/मुख्य आरक्षी (हेड मोहरिंर) द्वारा क्षेत्र में पूर्व में घटित घटना का स्थान/समय व अपराधियों द्वारा घटना कारित करने के तरीके आदि से विधिवत ब्रीफ किया जाए।
- प्रत्येक जनपद/किमश्नरेट में ग्राम/मोहल्ला सुरक्षा सिमितियों को कियाशील कर ग्राम चौकीदारों के साथ भी गश्त करायी जाए।
- जनपद/किमश्नरेट में घटित घटनाओं का काइम मैपिंग के अनुसार चिन्हित स्थानों/क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार डायल-112 के वाहनों के रूट चार्ट को पुनर्निर्धारित किया जाए।
- ग्राम/मोहल्ला के ग्राम प्रधान/संभ्रान्त व्यक्तियों से समन्वय/संवाद स्थापित कर घटना पर अंकुश लगाये जाने हेतु सार्थक प्रयास किया जाए। जो स्थान सूनसान व अंधेरायुक्त हो वहाँ पर स्ट्रीट लाईट लगवाने की कार्यवाही करायी जाए।
- शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जनसहयोग से निजी चौकीदार लगाये जाने हेतु कार्यवाही करायी जाए तथा चिन्हित स्थानों के आवागमन के प्रमुख चौराहों/रास्तों आदि पर सीसीटीवी कैमरे लगाये जाने की व्यवस्था/कार्यवाही करायी जाए।
- शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रात्रि गश्त/पिकेट/वाहन पेट्रोलिंग में लगे पुलिस कर्मियों की चेकिंग हेतु प्रत्येक दिन रोस्टरवार एक क्षेत्राधिकारी की डियूटी लगायी जाए। अपर पुलिस अधीक्षक गश्त/पिकेट/वाहन पेट्रोलिंग आदि का भ्रमणशील रहकर नियमित पर्यवेक्षण करेंगे।
- जनपद/किमश्नरेट में रात्रि गश्त हेतु जोनल गश्त मिलान प्रणाली व चेिकंग स्कीम का सप्ताह में कम से कम दो या तीन बार प्रभावी कियान्वयन किया जाए। गश्त मिलान की कार्यवाही क्षेत्राधिकारी/अपर पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जाय।

• वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद एवं पुलिस उपायुक्त सप्ताह में कम से कम एक बार तथा अपर पुलिस महानिदेशक, जोन/पुलिस आयुक्त/पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, परिक्षेत्र 15 दिवस में कम से कम एक बार स्वयं भ्रमणशील रहकर रात्रि गश्त पार्टियों की आकस्मिक चेकिंग करेगें।

उपरोक्त निर्देशों का आप स्वयं अध्ययन कर ले तथा जनपद/किमश्नरेट में गोष्ठी कर अपने अधीनस्थ राजपत्रित अधिकारियों/थाना प्रभारियों को उक्त निर्देशों को विस्तार से अवगत कराकर अनुपालन कराना सुनिश्चित करें। संलग्न-यथोपरि।

भवदीय /// १) (विजय कुमार)

- 1. समस्त पुलिस आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, प्रभारी जनपद/रेलवेज, उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1. विशेष पुलिस महानिदेशक, कानून एवं व्यवस्था/अपराध, उत्तर प्रदेश।
- 2. अपर पुलिस महानिदेशक, डायल-112, उत्तर प्रदेश।
- 3. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश।
- 4. अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, उत्तर प्रदेश।
- 5. समस्त जोनल अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 6. समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।



नक्षत्र : पूर्व फालगूनी

श्रावण शुक्त ३ 💰

नक्षत्र : उत्तर फाल्युनी

19

🕰 6.08 am 🔭 6.53 pm

तिथि स्तीया

नसत्रः अनुराधा

श्रावण शुवल १०

तिथि : दशमी

नशत्र : ज्येष्ठा

बहात्र : शतीभण

तिथि : चतुर्थी

नक्षतः उत्तर भारपदा

श्रावण(अधिक) कृष्ण ४

लक्षतः गुगरीधा

विथि : एकादशी -

वक्षतः भादा

श्रावण(अधिक) कृष्ण ११

🔾 पूर्णिला the voiced क्षेत्र सतुर्दश्री ी शिवदावि ्रे प्रदोष कृत ्ट्री सक्यो पत्थी इत िंद्रे दुर्गहरी मतुर्धी । O सम्मित अगस्त १५ - स्वतन्त्रता दिवर अगस्त १६ - पारसी नव वर्ष अगस्त ३० - रक्षा बंधन आरम्भ २४/०८/२०२३ 02:54 AM समाप्त 26/08/2023 MA 7E:80 आरम्भ ०२/०८/२०२३ 11:26 pm रामाष्ठ ०७/०८/२०२३ 01:43 am आरम्भ ३०/०८/२०२३ 10:19 am समाध 03/09/2023 10:38 am

असाउस्या